



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1175]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2007/आश्विन 5, 1929

No. 1175]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 2007/ASVINA 5, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2007

का.आ. 1634(अ).—केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग की उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट सेक्शन के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण को सौंपती हैं।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	सेक्शन	लंबाई किलोमीटर में
(1)	(2)	(3)
10	हरियाणा राज्य में दिल्ली/हरियाणा सीमा-रोहतक-हिसार	29.700 कि. मी. से 170.000 किमी.
1	पंजाब राज्य में अमृतसर-वाघा सीमा	456.100 किमी. से 491.330 किमी.

[फा. सं. एनएच-14013/4/2007-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT
AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2007

S.O. 1634(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India

4026 GI/2007

Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highway Number	Section	Stretches in Kilometer
(1)	(2)	(3)
10	Delhi/Haryana Border-Rohtak-Hissar in the state of Haryana	Km. 29.700 to Km 170.000
1	Amritsar-Wagah Border in the state of Punjab	Km. 456.100 to Km. 491.330

[F. No. NH-14013/4/2007-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2007

का.आ. 1635(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

(क) क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
"8	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 10 [29.700 कि.मी. से 170.000 कि.मी. (दिल्ली/हरियाणा सीमा-रोहतक-हिसार) तक को छोड़कर] सं. 21क, सं. 22 [5.735 कि.मी. से 10.890 कि.मी. और 40.000 कि.मी. 62.200 कि.मी. (पंजाब/हरियाणा सीमा-हरियाणा/हिमाचल सीमा)] हरियाणा राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 71क में स्थित भाग, सं. 64, सं. 65, सं. 71, सं. 71ख, सं. 72, सं. 73 और सं. 73क।	हरियाणा राज्य सरकार।"

(ख) क्र. सं. 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
"20	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 [212.000 कि.मी. से 387.100 कि.मी. (हरियाणा/पंजाब सीमा से जालंधर) को छोड़कर और 407.100 कि.मी. से 491.330 कि.मी. (जालंधर-अमृतसर-वाघा सीमा)] सं. 10, सं. 15, सं. 20, सं. 21, (0.000 कि.मी. से 0.0870 कि.मी. को छोड़कर), सं. 22 [10.0890 कि.मी. से 39.960 कि.मी. और कि.मी. 39.860 कि.मी. से 41.945 (जिराकपुर-पंजाब/हरियाणा सीमा)], सं. 64, सं. 70 और सं. 71 और पंजाब राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 95 में स्थित भाग।	हरियाणा राज्य सरकार।"

[फा. सं. एनएच-14013/4/2007-पीएंडएम]

प्रभाकर, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2007

S.O. 1635(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further

amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to the said notification,—

(a) for serial number 8 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
"8	So much of National Highways No. 10 [excluding from Km. 29.700 to km. 170.000 (Delhi/Haryana Border-Rohtak-Hissar)], No. 21A, No. 22 [excluding from Km. 5.735 to Km. 10.890 and from Km. 40.000 to Km. 62.200 (Punjab/Haryana Border-Haryana/Himachal Border)], No. 64, No. 65, No. 71, No. 71B, No. 72, No. 73 and No. 73A as are situated within the State of Haryana and National Highway No. 71A.	State Government of Haryana"

(b) for serial number 20 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
"20	So much of National Highways No. 1 [excluding from Km. 212.000 to Km. 387.100 (Haryana/Punjab Border to Jalandhar) and from 407.100 to Km. 491.330 (Jalandhar-Amritsar-Wagah Border)], No. 10, No. 15, No. 20, No. 21, (excluding Km. 0.000 to Km. 0.870), No. 22 (excluding from Km. 10.890 to Km. 39.960), and from Km. 39.860 to Km. 41.945 (Zirakpur-Punjab/Haryana Border)], No. 64, No. 70, and No. 71 as are situated within the State of Punjab and National Highway No. 95.	State Government of Punjab"

[F.No. NH-14013/4/2007-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.